राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 675/2012/भरतपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स टी. एम. मोटर्स प्रा0 लिमिटेड, ...प्रत्यर्थी.
बी–नारायण गेट, भरतपुर.

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री सीतांशु शर्मा, उप–राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री जतिन हरजाई, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28/09/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 66/उपा–अपील्स/2011–12/ में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 18.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि 2010–11 के लिये वेट अधिनियम की धारा 25 व 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 13.06.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कर व ब्याज की पुष्टि की गयी है तथा धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी मोटर व्हिकल का व्यवसायी है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अन्य राज्य से वाहनों के आयात करने ट्रांसपोर्टेशन हेतु जो खर्चे वहन किये गये थे उन खर्चों को विक्रय बिलों लोजिस्टिक चार्जेज के रूप में अलग से दर्शाते हुए इस राशि पर कोई कर वसूल नहीं किया गया था जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने करापवंचन का कृत्य मानते हुए यह अवधारित किया है कि माल के विक्रय के पूर्व किसी भी तरह के खर्चे उसके विक्रय मूल्य में सम्मिलित योग्य होते हैं, अतः ऐसी समस्त राशि पर कर, ब्याज तथा कर वसूल नहीं करने के कृत्य को करापवंचन का कृत्य मानते हुए शास्ति का आरोपण किया गया था जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा लोजिस्टिक चार्जेज को अधिनियम की धारा 2(36) के

लगातार.....2

अनुसार विक्रय मूल्य में सम्मिलित करने के कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गयी परन्तु विभिन्न माननीय न्यायिक निर्णयों के आलोक में आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

3. विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील आधारों को दोहराते हुए विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा जब करारोपण की पुष्टि की गयी है उस स्थिति में करवंचना के आरोप में शास्ति के आरोपण को अपास्त किया जाना अविधिक है। कथन किया कि व्यवसायी ने कर के दायित्व को कम घोषित किया था जो करापवंचन का कृत्य होना प्रमाणित करता है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त की गयी शास्ति को पुनर्स्थापित करने का अनुरोध किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि लोजिस्टिक चार्जेज के बिन्दु पर कर की पुष्टि किये जाने के समान मामलों में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पूर्व में ही ऐसे निर्णय किये जा चुके हैं कि सम्पूर्ण संव्यवहार, व्यवसायी द्वारा लेखा—पुस्तकों में घोषित होने से विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आलोक में शास्ति का आरोपण उचित नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने पर बल दिया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

6. उक्त प्रकरण में विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील में केवलमात्र यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने बिलों में लोजिस्टिक चार्जेज के रूप में पृथक से वसूल की गयी राशि पर कर उद्ग्रहित नहीं किया गया है एवं न ही ऐसा कर जमा करवाया गया था अतः इस कृत्य को करापवंचन का कृत्य माना जावे एवं अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति के आरोपण को पुनर्स्थापित किया जावे। अपील निर्णय के इस बिन्दु पर विचार किया गया। माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा इसी बिन्दु पर विभिन्न निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि लोजिस्टिक चार्जेज वेट अधिनियम की धारा 2(36) के तहत विक्रय मूल्य का ही अंश है अतः इस पर कर देने का व्यवसायी का दायित्व सृजित होता है परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में ऐसे मामलों में शास्ति के आरोपण को अपास्त किया गया है। फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा उद्धरित माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स**

लगातार.....3

बनाम तामिलनाडू राज्य एवं अन्य के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम एल.एन.जे. सर्विसेज लिमिटेड, जोधपुर (राज.) 15 वेट रिपोर्टर (2011) 69** में पारित निर्णय के आलोक में आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई भूल नहीं की गयी है। अतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य